अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 153/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/00018)

1. कमला पुत्री स्व. रूपाराम पुत्र बारू उर्फ वीरू पुत्र गुरमुख पुत्र नत्थिया पत्नी महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति मेधवंशी निवासी गांव अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव रायपुर तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
2. राजबाला पुत्री स्व. रूपराम पुत्र बारू उर्फ वीरू पुत्र गुरमुख पुत्र नत्थिया पत्नी जयवीर पुत्र रामस्वरूप जाति मेधवंशी निवासी गांव अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव रायपुर तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. छबीलाराम पुत्र भादर जाति चमार निवासी गांव अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधि।

   1/1 साधुराम
   1/2 लिलुराम | पिसरान हरलाल वल्द पतराम जाति चमार निवासी गांव अमरपुरा तहसील भादरा।

   1/3 कुनणाराम पुत्र छबीलाराम वल्द भादर जाति चमार निवासी अमरपुरा तहसील भादरा, मृत जरिये विधिक प्रतिनिधि।

   1/3 ए सरबती पत्नी कुनणराम, 1/3 बी राजू, 1/3 सी जसवीर, 1/3 डी धर्मवीर, 1/3 ई सत्यवान पि. कुनणराम जाति चमार निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।

   1/4 जगदीश
   1/5 सत्यनारायण | पिसरान हरलाल वल्द पतराम जाति चमार निवासी गांव अमरपुरा तहसील भादरा।
2. ग्राम पंचायत सुरतपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुरतपुरा तहसील भादरा।

असल रेस्पोडेन्ट्स

3. महेन्द्र
4. सुरेन्द्र
5. विनोद | सोहणा पुत्र गुरमुख जाति चमार निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
6. महावीर पुत्र अमर सिह वल्द बारू उर्फ वीर वल्द गुरमुख वल्द नत्थिया जाति मेधवंशी निवासी अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव झालनिया तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
7. बाला बैवा दलीप पुत्र अमर सिह वल्द बारू उर्फ वीरू वल्द गुरमुख वल्द नत्थिया जाति मेधवंशी निवासी अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव झालनिया तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
8. तरसेम
9. कविता
10. ज्योति | पि0 प्रताप पुत्र अमरसिह वल्द बारू उर्फ वीरू वल्द गुरमुख वल्द नत्थिया जाति मेधवंशी निवासी अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव झालनिया तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
11. कृष्णा बैवा प्रताप पुत्र अमर सिह वल्द बारू उर्फ वीरू वल्द गुरमुख वल्द नत्थिया जाति मेधवंशी निवासी अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव झालनिया तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
12. धीरू
13. जसवीर
14. जखसिह
15. नीतू
16. पुष्पा | पि0 प्रताप पुत्र अमरसिह वल्द बारू उर्फ वीरू वल्द गुरमुख वल्द नत्थिया जाति मेधवंशी निवासी अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव झालनिया तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ... बीकानेर

उपस्थितः	1. श्री विजय कुमार पारीक	अभिभाषक अपीलांट्स
	2. श्री राजेश बैद	अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1/5, 1/3सी, 1/3 डी, 1/3 ई, 1/4
	3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली	राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 07–03–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने सरपंच ग्राम पंचायत सूरतपुरा द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 5 दिनांक 30.06.1975 के विरूद्व उप जिला कलक्टर भादरा मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.11.2015 द्वारा अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 03.07.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर असल रेस्पोडेन्ट्स को ही तलब करने का निवेदन करने पर असल रेस्पोडेन्ट्स को ही तलब किया गया। शेष फोरमल रेस्पोडेन्ट्स को तलब नही किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि अपील में उल्लेखित इन्तकाल ग्राम सरपंच द्वारा बैयनामें के आधार पर तस्दीक किये गये है। ग्राम सरपंच को इन्तकाल दर्ज करने का अधिकार नही था। क्योकि बैयनामे ड्स्प्यूटेड थें, मौके की रिपोर्ट, कब्जे की रिपोर्ट लिये बिना ही ग्राम सरपंच ने क्षेत्राधिकार से बाहर इन्तकाल दर्ज किये थे। ग्राम सरपंच ने बैचवान कर्ता को बिना सुने आदेश पारित किया जबकि कानून के अनुसार उसको सुना जाना आवश्यक था। प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी भादरा में पेश की गई थी जिसमे सरपंच को पक्षकार बनाया

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरपंच को बिना सुने बिना तामिल करवाये निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम से स्पष्ट है कि सम्मन ग्राम सरपंच दिनांक 08.09.2015 को जारी किए तथा दिनांक 15.10.2015 को उपस्थिति हेतु आदेश थे मगर तामिल कुनिन्दा ने बिना तामिल किए, बिना दिनांक के बिना गवाहो के सामने, यह लिखकर कि पाती लेने से इन्कार हुआ। स्पष्टतया बिना तामिल के ही रिपोर्ट की गई जो मान्य नही है। प्रथम अपील में दफा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया है जबकि काउन्टर में कोई शपथ पत्र पेश नही था तथा दफा–5 के प्रार्थना पत्र को माना जाना चाहिए था एवं प्रथम अपील न्यायालय में मियाद के बिन्दु को सही ढंग से तय ही नही किया जो लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानो के खिलाफ है। प्रथम अपील वास्ते बहस नही रखी गई ना ही ऑर्डरशीट है। फिर भी बहस सुनकर निर्णय पारित कर दिया जो कानून का स्पष्टतया उल्लंघन है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर प्रथम अपील न्यायालय व ग्राम सरपंच द्वारा पारित आदेश दोनो निरस्त फरमावें तथा प्रथम अपील न्यायालय को रिमाण्ड की जावे कि सभी पक्षो को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश फरमाया जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2011 पेज 386, RRD 1994 पेज 277, RRD 1981 पेज 292, RRD 1974 पेज 456, RRD 2007 पेज 463, RRD 1975 पेज 399, RRD 1995 पेज 696, RRD 1989 पेज 31, RRD 1988 पेज 62, RRD 2006 पेज 125, RRD 2001 पेज 58, RRD 2016 पेज 28, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक श्री राजेश बैद ने बहस कर कहा कि अपीलान्ट की अपील आधारहीन है। जब तक अमरसिंह जिन्दा था अपीलान्ट का जन्म भी नही हुआ था। अमरसिंह ने अपने सारे हिस्से 1980 से पहले ही बेच दिये थे। सभी इन्तकाल बैयनामो के आधार पर भरे गये है, बैयनामे उप पंजीयक के यहा तस्दीक शुदा दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज के रहते उनसे किये इन्तकालो को अपील के लिए चुनौती नही दी जा सकती है। बैयनामा से हुए इन्तकाल विधि सम्मत है। अपीलान्ट द्वारा सभी बैयनामे फ्रेग्मेन्ट से प्रभावित होने के कारण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध व शून्य बताये

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है जो कतई गलत है चूकि फ्रेग्मेन्ट से सम्बधित प्रावधान काश्तकारी अधिनियम से विलोपित कर दिये गए है जो न्यायिक दृष्टांत RLW 1998 (1) RAJ पेज 516, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की नजीर से समर्थित है। अपीलान्ट द्वारा पेश अपील बिना लोकस स्टेन्डाई के बिना वैधानिक अधिकार होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्ततु अपील में अपीलान्ट्स द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण को चुनौती निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संरपच ग्राम पंचायत सूरतपुरा को तामिल नही करवाई गई।
2. अपीलाधीन नामान्तकरण विवादित होने के कारण ग्राम पंचातत सूरतपुरा को स्वीकृत करने का अधिकार नही था।
3. विक्रय पत्र जिनके आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये गये है वो फ्रेगमेन्ट की श्रेणी होने के कारण नामान्तकरण दर्ज नही किये जा सकते है।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में मियाद के बिन्दु को सही तौर पर निर्णित नही किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 04.11.2015 की आदेशिका के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत सूरतपुरा की तामिल लेने से इन्कार होने के आधार पर तामिल मानते हुए उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा दिनाक 24.11.2015 को निर्णय पारित किया गया। इस संबध में अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष कोई आपत्ति नही की गई तथा ना ही इसके विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत सूरतपुरा के निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई थी जो हितबद्व पक्षकार भी नही है। जहां तक विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने कें क्षेत्राधिकार का प्रश्न है के सम्बन्ध में विक्रय पत्रो के आधार पर दर्ज नामान्तकरण को विवादित श्रेणी का नही माना गया है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

साथ ही विक्रय पत्रो को फ्रेग्मेन्ट से प्रभावित होने के आधार पर प्रारम्भ से शून्य होने का प्रश्न के संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत RLW 1998 (1) RAJ पेज 516, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की नजीर के अनुसार फ्रेग्मेन्ट सम्बन्धी प्रावधानो का भूतलक्षी प्रभाव से वापिस ले लिया गया है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र अवैध नही कहे जा सकते है। जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फ्रेग्मेन्ट के सम्बन्ध में नजीरे उक्त कानून को वापिस लेने से पूर्व की है जो इस प्रकरण पर हुबहू लागू नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में मेरिट पर निर्णय पारित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपील को अन्दर मियाद मानते हुए निर्णय पारित किया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि प्रस्तुत अपील के माध्यम से नामान्तरण सं. 5 को चूनौती दी गई है जो कि खातेदार सोहणा पुत्र गुरमुख द्वारा किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है अपीलान्ट सोहणा पुत्र गुरमुख की खातेदारी भूमि में किस आधार पर अपना हक रखते है यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही होता है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील संधारण योग्य नही होने से भी खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर